



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-10072023-247161
CG-GJ-E-10072023-247161

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 482]
No. 482]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 7, 2023/आषाढ 16, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 7, 2023/ASHADHA 16, 1945

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 6 जुलाई, 2023

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) (संशोधन) विनियम, 2023

आईएफएससीए/2023-24/जीएन/आरईजी041.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 की उपधारा (1) और धारा 13 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) विनियम, 2020 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्: -

- (i) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) (संशोधन) विनियम, 2023 कहा जाएगा।
(ii) वे शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) विनियम, 2020 (इसके पश्चात मूल विनियम के रूप में संदर्भित) में, विनियम 2 के उप-विनियम (1) के अधीन विद्यमान खंड (ग) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
"बैंकिंग इकाई" या "बीयू" का अर्थ अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अधीन परिभाषित वित्तीय संस्थान है जिसे प्राधिकरण द्वारा इन नियमों के अधीन अनुमेय कार्यकलाप करने के लिए लाइसेंस प्राप्त या अनुमति प्राप्त है।
- मूल विनियमों में, विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (इए) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

"(डख)"आईएफएससी बैंकिंग कंपनी" या "आईबीसी" का अर्थ है मूल बैंक की सहायक कंपनी के रूप में आईएफएससी में कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस प्राप्त या अनुमति प्राप्त बैंकिंग इकाई।

(डग) "आईएफएससी बैंकिंग इकाई" या "आईबीयू" का अर्थ है मूल बैंक की शाखा के रूप में आईएफएससी में कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस प्राप्त या अनुमति प्राप्त बैंकिंग इकाई।"

4. मूल विनियमों में, विनियम 2 के उप-विनियम (1) के अधीन विद्यमान खंड (i) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
"अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" या "आईएफएससी" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के धारा खंड (ड) के अधीन दिया गया है।
5. मूल विनियमों में, विनियम 2 के उप-विनियम (1) के विद्यमान खंड (डक) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:
"निर्देशपरक सेवाएँ" का अभिप्राय ऐसे कार्यकलाप से है जिसमें कोई बीयू, वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा प्रदाता के साथ एक व्यवस्था के अनुसरण में, अपने ग्राहकों या अपने मूल बैंक के संभावित ग्राहकों (या "लीड्स") को ऐसे वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा के लिए वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा प्रदान करने वाले प्रदाता को रेफर करता है।"
6. मूल विनियमों में, विनियम 2 के उप-विनियम (1) के अधीन विद्यमान खंड (डक) का नाम परिवर्तित कर खंड (डक) कर दिया जाएगा।
7. मूल विनियमों में, विनियम 2 के उप-विनियम 1 के खंड (त) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्,
"(तक) "निर्दिष्ट विदेशी मुद्राएं" का अर्थ इन विनियमों की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट मुद्राएं हैं।"
8. मूल विनियमों में, विनियम 2 के उप-विनियम (1) के विद्यमान खंड (थक) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:
"(थक) "सहायक कंपनी" का अर्थ ऐसी कंपनी है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के अधीन परिभाषा को पूरा करती है।"
9. मूल विनियमों में, विनियम 2 के उप-विनियम (1) के अधीन विद्यमान खंड (थक) का नाम परिवर्तित कर खंड (थक) कर दिया जाएगा।
10. मूल विनियमों में, विनियम 3 के विद्यमान उप-विनियम (1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:
"भारतीय बैंकों और विदेशी बैंकों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में बैंकिंग इकाई स्थापित करने के लिए प्राधिकरण से लाइसेंस या अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।"
11. मूल विनियमों में, विनियम 3 के उप-विनियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित जाएगा, अर्थात्,
“(1क) आईएफएससी में बैंकिंग इकाई इस प्रकार स्थापित की जा सकती है:
क) आईएफएससी बैंकिंग इकाई या आईबीयू; या
ख) आईएफएससी बैंकिंग कंपनी या आईबीसी
बशर्ते कि मूल बैंक जिसने पहले ही आईएफएससी में आईबीयू स्थापित कर लिया है, उसे प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के साथ, प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, इसे आईबीसी में परिवर्तित करने की अनुमति दी जा सकती है।
12. मूल विनियमों में, विनियम 3 के उप विनियम (2) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
"मूल बैंक को बैंकिंग इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्ररूप और तरीके से करना होगा।"
13. मूल विनियमों में, विनियम 3 के उप-विनियम (2) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,
"(2क) विनियम 3(2) के अधीन मूल बैंक द्वारा फाइल किए गए आवेदन को प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस या अनुमति देने से पहले किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।"

14. मूल विनियमों में, विनियम 3 के उप विनियम 3 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
 “आवेदक को आईएफएससी बैंकिंग इकाई स्थापित करने के लिए प्राधिकरण से लाइसेंस या अनुमति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी:
- (क) मूल बैंक आईबीयू के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान करेगा, जो न्यूनतम 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अन्य स्तर की पूंजी होगी। ऐसी पूंजी को प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से मूल बैंक में अनुरक्षित रखा जाएगा।
- (ख) मूल बैंक को आईएफएससी में मूल बैंक की शाखा के रूप में बैंकिंग इकाई स्थापित करने के संबंध में अपने गृह नियामक से अनापत्ति पत्र प्राप्त होगा;
- (ग) मूल बैंक को यह वचनपत्र देना होगा कि वह आईबीयू के संचालन के लिए, जब भी आवश्यकता होगी, अपने आईबीयू को चलनिधि प्रदान करेगा।
- (घ) प्राधिकरण द्वारा यथा निर्दिष्ट कोई अन्य अपेक्षा।
15. मूल विनियमों में, विनियम 3 के उप-विनियम 3 के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
 “(3क) आवेदक को आईएफएससी बैंकिंग कंपनी स्थापित करने के लिए प्राधिकरण से लाइसेंस या अनुमति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा:
- (क) मूल बैंक आईबीयू के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान करेगा, जो न्यूनतम 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अन्य स्तर की पूंजी होगी। ऐसी पूंजी को प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट विधि के अनुसार परिगणित और अनुरक्षित किया जाएगा।
- (ख) मूल बैंक को आईएफएससी में मूल बैंक की सहायक कंपनी के रूप में बैंकिंग इकाई स्थापित करने के संबंध में अपने गृह नियामक से अनापत्ति पत्र प्राप्त होगा;
- (ग) प्राधिकरण द्वारा यथा निर्दिष्ट कोई अन्य अपेक्षा।
16. मूल विनियमों में, विनियम 3 के उप विनियम 4 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
 “ऐसा विदेशी बैंक, जो भारत में उपस्थित नहीं है, लेकिन वह आईएफएससी में बैंकिंग इकाई स्थापित करने का इच्छुक है, उसे प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट ऐसी अतिरिक्त अपेक्षाओं का पालन करना होगा।”
17. मूल विनियमों में, विनियम 3 के उप विनियम 5 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
 “बैंकिंग इकाई स्थापित करने के आवेदन पर विचार करने के पश्चात्, प्राधिकरण आवेदक को इन नियमों के अधीन प्रदान की गई शर्तों या ऐसी अन्य शर्तों, जो वह उचित समझे, के अध्यक्षीन लाइसेंस या अनुमति प्रदान कर सकता है।”
18. मूल विनियमों में, विनियम 3 के उप विनियम 6 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
 “जहां प्राधिकरण की राय है कि लाइसेंस या अनुमति नहीं दी जा सकती है, तो वह उन आधारों को निर्धारित करते हुए, जिनके आधार पर वह लाइसेंस या अनुमति नहीं दे सकता है लिखित प्रस्तुतियाँ, यदि कोई हो, करने में सक्षम बनाने के लिए, आवेदक को तीस दिन का समय दे सकता है।”
19. मूल विनियमों में, विनियम 3 के उप विनियम 8 का विलोप कर दिया जाएगा
20. मूल विनियमों में, विनियम 4 के उप विनियम 2 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
 “(1) बैंकिंग इकाइयाँ, चाहे वे आईबीयू या आईबीसी के रूप में परिचालित हो रही हों, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन करेंगी।
- (2) आईबीयू के रूप में परिचालन होने वाली बैंकिंग इकाइयां भी अपने मूल बैंक के गृह नियामक द्वारा जारी निर्देशों और अनुदेशों का पालन करेंगी, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए।
21. मूल विनियमों में, विनियम 5 के उप-विनियम 1 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
 “बैंकिंग इकाइयां प्राधिकरण द्वारा यथानिर्दिष्ट चलनिधि व्याप्ति अनुपात को बनाए रखेंगी

- बशर्ते कि मूल बैंक आईबीयू के मामले में प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से चलनिधि व्याप्ति अनुपात को बनाए रखेगा।
22. मूल विनियमों में, विनियम 5 के उप-विनियम 2 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
"बैंकिंग इकाई पर निवल संधारणीय निधिकरण अनुपात को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित ढंग और समय पर लागू किया जाएगा और बैंकिंग इकाई इसका अनुरक्षण करेगी
बशर्ते कि एआईबीयू के मामले में, निवल संधारणीय निधिकरण अनुपात का अनुरक्षण प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से मूल बैंक द्वारा किया जाएगा।
23. मूल विनियमों में, विनियम 6 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
"बैंकिंग इकाइयां प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा-निर्दिष्ट उत्तोलन अनुपात से संबंधित मानदंडों और दिशानिदेशों का पालन करेंगी"
24. मूल विनियमों में, विनियम 8 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
“(1) भारत में या भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों से जुटाई गई जमा राशि के अलावा आईबीयू की देयताओं को नकद आरक्षित अनुपात या प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट अन्य अपेक्षाओं से छूट दी जाएगी।
(2) भारत में या भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों से आईबीयू द्वारा जुटाई गई जमा राशि प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट आरक्षित अनुपात के अध्यक्षीन होगी।
(3) आईबीसी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक, 1934 के अधीन अनिवार्य आरक्षी राशि को बनाए रखेगा।
25. मूल विनियमों में, विनियम 10 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
"बैंकिंग इकाई निर्दिष्ट विदेशी मुद्राओं में और प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट व्यक्तियों, चाहे निवासी हो या अन्यथा, के साथ ऐसे व्यवसाय का संचालन करेगी।
बशर्ते कि बैंकिंग इकाई को प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट व्यक्तियों चाहे वह निवासी हो या अन्यथा, के साथ निर्दिष्ट ऐसे व्यवसाय के संबंध में विदेशी मुद्राओं में वित्तीय लेनदेन के निपटान के अध्यक्षीन भारतीय रुपये में व्यवसाय करने की अनुमति दी जाएगी।
26. मूल विनियमों में, विनियम 11 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
“(1) बैंकिंग इकाइयां प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अध्यक्षीन, भारत में या भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों और कारपोरेट या संस्थागत एंटिटियों के लिए निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा में खाते खोल सकती हैं।
(2) जो व्यक्ति भारत में निवासी हैं, उन्हें रिजर्व बैंक की उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) में निर्दिष्ट किसी भी अनुमेय चालू या पूंजी खाता लेनदेन या दोनों के संयोजन से जुड़े लेनदेन करने के लिए बैंकिंग इकाई के साथ निर्दिष्ट विदेशी मुद्राओं में खाते खोलने, बनाए रखने और अनुरक्षित करने की अनुमति है।"
27. मूल विनियमों में, विनियम 12 के उप-विनियम 2 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
"बैंकिंग इकाई में प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट शर्तों के अध्यक्षीन किसी खाते को ऐसे मामलों में जहां खाताधारक व्यक्ति है, चालू या बचत या सावधि जमा के रूप में और अन्य सभी मामलों में चालू या सावधि जमा के रूप में निर्दिष्ट विदेशी मुद्राओं में खोला, बनाए रखा और अनुरक्षित किया जा सकता है।"
28. मूल विनियमों में, विनियम 13 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
“(1) बैंकिंग इकाई अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ड) और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6 के अधीन उल्लिखित कोई भी या सभी कार्यकलाप कर सकती है, सिवाय उन कार्यकलापों के जो या तो मूल बैंक के गृह नियामक द्वारा या प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध हैं।
(2) संदेह को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इन नियमों के अधीन "रेफरल सेवाएं" प्रदान करने का कार्यकलाप अनुमत कार्यकलाप है।"
29. मूल विनियमों में, विनियम 14 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
"बैंकिंग इकाई को धन शोधन निवारण, आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण और अपने ग्राहक को जानें संबंधी प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिदेशों का पालन करना होगा।"

30. मूल विनियमों में, विनियम 16 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
"बैंकिंग इकाई अपने बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को निर्दिष्ट विदेशी मुद्राओं में अनुरक्षित रखेगी, जैसा कि विनियम 3 के अधीन आवेदन करते समय घोषित किया हो सकता है।"
31. मूल विनियमों में, विनियम 17 के उप-विनियम 1 को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
"बैंकिंग इकाई को अपने प्रशासनिक और वैधानिक खर्चों का भुगतान करने के लिए और प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए निर्दिष्ट विदेशी मुद्राओं में से एक आईएनआर खाता रखने की अनुमति होगी।"
32. मूल विनियमों में, विनियम 18 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
"बैंकिंग इकाई की जमा राशि का बीमा जमा बीमा और जमा प्रत्याभूति निगम अधिनियम, 1961 और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम या विनियम के अधीन किया जाएगा।"
33. मूल विनियमों में, विनियम 19 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
"बैंकिंग इकाई प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट कानूनी रूप से लागू होने योग्य निवलीकरण व्यवस्था के अधीन सीमांत लाभ को प्रतिपक्ष बैंकिंग इकाई या विदेशी विनियमित इकाई के साथ निर्दिष्ट विदेशी मुद्राओं या अनुमत्य सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों और सोवरेन में अकेद्रीय रूप से समाशोधित प्रति मुद्रा, ब्याज दर, जमा और पण्य व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए बाजार एक्सपोजर के बिंदु को प्रतिबिंबित करने के लिए विनिमय कर सकती है।"
34. मूल विनियमों के अंत में, निम्नलिखित को प्रथम अनुसूची के रूप में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

प्रथम अनुसूची

[अधिनियम की धारा 20 और विनियम 2(1)(तक) देखें]

निर्दिष्ट विदेशी मुद्राएँ

- I. अमेरिकी डॉलर (यूएसडी)
- II. यूरो (ईयूआर)
- III. जापानी येन (जेपीवाई)
- IV. यूके पाउंड स्टर्लिंग (जीबीपी)
- V. कैनेडियन डॉलर (सीएडी)
- VI. ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (एयूडी)
- VII. स्विस् फ्रैंक (सीएचएफ)
- VIII. हांगकांग डॉलर (एचकेडी)
- IX. सिंगापुर डॉलर (एसजीडी)
- X. संयुक्त अरब अमीरात दिरहाम (ईडी)
- XI. रूसी रूबल (आरयूबी)

इंजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./265/2023-24]

टिप्पणी:

1. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) विनियम, 2020 को भारत के असाधारण राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/GN/REG004 के माध्यम से 20 नवंबर 2020 को प्रकाशित किया गया, जिसे 12 मई, 2021 को भारत असाधारण अधिसूचना संख्या सीजी-एमएच-ई-12052021-226980 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित शुद्धिपत्र के साथ पढ़ा जाएगा;
2. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) (संशोधन) विनियम, 2021 को 25 मार्च, 2021 को अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/GN/REG009 द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया; और
3. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) (संशोधन) विनियम, 2021 को 05 जुलाई, 2021 को अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2021-22/GN/REG013 द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

4. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) (संशोधन) विनियम, 2022 को 29 जून, 2022 को अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/GN/REG025 द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 6th July, 2023

International Financial Services Centres Authority (Banking) (Amendment) Regulations, 2023

IFSCA/2023-24/GN/REG041.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with sub-section (1) of Section 12 and sub-section (1) of Section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations further to amend the International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020, namely: -

1. (i) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Banking) (Amendment) Regulations, 2023.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020 (hereinafter referred to as the Principal Regulations), the existing clause (c) under sub-regulation (1) of regulation 2, shall substituted with the following, namely :

“Banking Unit” or “BU” means a financial institution defined under clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of the Act that is licensed or permitted by the Authority to undertake permissible activities under these regulations.”
3. In the Principal Regulations, after clause (ea) of sub-regulation (1) of regulation 2, the following clauses shall be inserted, namely:

“(eb) “IFSC Banking Company” or “IBC” means a Banking Unit licensed or permitted by the Authority to operate in an IFSC as a subsidiary company of the Parent Bank.

“(ec) “IFSC Banking Unit” or “IBU” means a Banking Unit licensed or permitted by the Authority to operate in an IFSC as a branch of the Parent Bank.”
4. In the Principal Regulations, the existing clause (i) under sub-regulation (1) of regulation 2, shall substituted with the following, namely:

“International Financial Services Centre” or “IFSC” shall have the same meaning as assigned to it under section clause (g) of sub-section (1) of Section 3 of the Act”
5. In the Principal Regulations, the existing clause (1a) of sub-regulation (1) of regulation 2, shall be replaced as follows:

“Referral services” means an activity in which a BU, pursuant to an arrangement with a financial product or financial service provider, refers its clients or the clients of its Parent Bank as potential customers (or "leads"), to such financial product or financial service provider for providing them the financial product(s) or financial service(s).”
6. In the Principal Regulations, the existing clause (1a) under sub sub-regulation (1) of regulation 2, shall be renamed as clause (1b).
7. In the Principal Regulations, after clause (n) of sub-regulation 1 of regulation 2, following clause shall be inserted, namely,

“(na) “Specified foreign currencies” means currencies as specified in the First Schedule to these regulations.”
8. In the Principal Regulations, the existing clause (oa) of sub-regulation (1) of regulation 2, shall be replaced as follows:

“(oa) “Subsidiary company” means a company that satisfies the definition u/s 2(87) of the Companies Act, 2013.”
9. In the Principal Regulations, the existing clause (oa) under sub sub-regulation (1) of regulation 2, shall be renamed as clause (ob).
10. In the Principal Regulations, the existing sub-regulation (1) of regulation 3 shall be substituted with the following:

- “Indian Banks and Foreign Banks shall require licence or permission from the Authority to set up a Banking Unit in an International Financial Services Centre.”
11. In the Principal Regulations, after sub-regulation (1) of regulation 3, following clause shall be inserted, namely,
- “(1A) A Banking unit may be set up in an IFSC as an :
- IFSC Banking Unit or IBU; or
 - IFSC Banking Company or IBC
- provided* that a Parent Bank who has already set up an IBU in an IFSC, may be permitted to convert the same to an IBC, with the prior approval of the Authority, subject to such conditions as may be specified by the Authority.”
12. In the Principal Regulations, sub regulation (2) of regulation 3, shall be substituted with the following, namely:
- “An application for setting up a Banking Unit shall be made by the Parent Bank in the form and manner as specified by the Authority.”
13. In the Principal Regulations, after sub-regulation (2) of regulation 3, following clause shall be inserted, namely,
- “(2A) The application filed under regulation 3(2) can be withdrawn by the Parent Bank at any time before the grant of the license or permission by the Authority.”
14. In the Principal Regulations, sub regulation 3 of regulation 3, shall be substituted with the following, namely:
- “The applicant shall satisfy the following requirements for grant of licence or permission by the Authority to set up an IFSC Banking Unit:
- The Parent Bank shall provide necessary capital for the IBU, subject to a minimum of USD 20 million or such other level of capital that may be specified by the Authority. Such capital shall be maintained at the Parent Bank in the manner as specified by the Authority.
 - The Parent Bank shall obtain a No Objection Letter from its home regulator regarding setting up of the Banking Unit in the IFSC as a branch of the Parent Bank ;
 - The Parent Bank shall submit an undertaking that it shall provide liquidity to its IBU whenever needed for the operations of the IBU
 - Any other requirement as may be specified by the Authority.”
15. In the Principal Regulations, after sub regulation 3 of regulation 3, following sub- regulation shall be inserted, namely:
- “(3A) The applicant shall satisfy the following requirements for grant of licence or permission by the Authority to set up an IFSC Banking Company:
- The Parent Bank shall provide necessary capital for the IBC, subject to a minimum of USD 50 million or such other level of capital that may be specified by the Authority. Such capital shall be calculated and shall be maintained as specified by the Authority.
 - The Parent Bank shall obtain a No Objection Letter from its Home Regulator regarding setting up of the Banking Unit in the IFSC as a Subsidiary company of the Parent Bank
 - Any other condition that the Authority may specify
16. In the Principal Regulations, sub regulation 4 of regulation 3, shall be substituted with the following, namely:
- “A Foreign Bank, not having its presence in India, wishing to set up a Banking Unit in an IFSC, shall comply with such additional requirements as may be specified by the Authority.”
17. In the Principal Regulations, sub regulation 5 of regulation 3, shall be substituted with the following, namely:
- “After considering an application for setting up a Banking Unit, the Authority may grant licence or permission to the applicant subject to such conditions as provided under these regulations or such other conditions as it may deem fit.”
18. In the Principal Regulations, sub regulation 6 of regulation 3, shall be substituted with the following, namely:

- “Where the Authority is of the opinion that licence or permission cannot be granted, it may give thirty days’ time to the applicant, setting out the grounds based on which it cannot grant licence or permission, to enable the applicant to make written submissions, if any.”
19. In the Principal Regulations, sub regulation 8 of regulation 3 shall be deleted
20. In the Principal Regulations, sub regulation 2 of regulation 4, shall be substituted with the following, namely:
“(1) Banking Units, whether operating as an IBU or an IBC, shall adhere to the norms and guidelines as may be specified by the Authority, from time to time.
(2) Banking Units operating as an IBU shall also comply with the directions and instructions issued by the Home Regulator of its Parent Bank, unless otherwise specified by the Authority.”
21. In the Principal Regulations, sub-regulation 1 of regulation 5, shall be substituted with the following, namely:
“A Banking Unit shall maintain the Liquidity Coverage Ratio as may be specified by the Authority
Provided that in the case of an IBU the Liquidity Coverage Ratio may be maintained by the Parent Bank with the prior approval of the Authority.”
22. In the Principal Regulations, sub-regulation 2 of regulation 5, shall be substituted with the following, namely:
“Net Stable Funding Ratio shall be made applicable to a Banking Unit as and when determined by the Authority and shall be maintained by a Banking Unit
Provided that in the case of an IBU, the Net Stable Funding Ratio may be maintained by the Parent Bank with the prior approval of the Authority.”
23. In the Principal Regulations, regulation 6, shall be substituted with the following, namely:
“Banking Units shall adhere to the norms and guidelines relating to Leverage Ratio as may be specified by the Authority, from time to time ”
24. In the Principal Regulations, regulation 8, shall be substituted with the following, namely:
“(1) The liabilities of an IBU , other than the deposits raised from individuals resident in India or outside India shall be exempted from Cash Reserve Ratio or such other requirements as may be specified by the Authority.
(2) The deposits raised by an IBU from individuals resident in India or outside India shall be subject to such Reserve Ratios as may be specified by the Authority.
(3) An IBC shall maintain such reserves and in such manner as are mandated under the Banking Regulation Act, 1949 and the Reserve Bank of India, 1934”
25. In the Principal Regulations, regulation 10, shall be substituted with the following, namely:
“A Banking Unit shall conduct such business in the specified foreign currencies and with such persons, whether resident or otherwise, as may be specified by the Authority.
Provided that a Banking Unit may be permitted to conduct such business in INR with such persons, whether resident or otherwise, as may be specified by the Authority, subject to settlement of the financial transaction in relation to such business in the specified foreign currencies.”
26. In the Principal Regulations, regulation 11, shall be substituted with the following, namely:
“(1) Banking Units may open accounts in the specified foreign currencies for individuals and corporate or institutional entities, resident in India or outside India, subject to such conditions as may be specified by the Authority.
(2) Individuals who are person resident in India are permitted to open, hold and maintain accounts in the specified foreign currencies, with a Banking Unit, for undertaking transactions connected with or arising from any permissible current or capital account transaction or a combination of both as specified in the Liberalised Remittance Scheme (LRS) of the Reserve Bank.”
27. In the Principal Regulations, sub-regulation 2 of regulation 12, shall be substituted with the following, namely:
“An account in the specified foreign currencies may be opened, held and maintained with a Banking Unit in the form of current or savings or term deposit in cases where the account holder is an individual, and in the form of current or term deposit in all other cases, subject to such conditions as may be specified by the Authority.”

28. In the Principal Regulations, regulation 13, shall be substituted with the following, namely:
“(1) A Banking Unit may undertake any or all the activities mentioned under clause (e) of sub-section (1) of Section 3 of the Act and Section 6 of the Banking Regulation Act, 1949, except those which are expressly prohibited either by the Home Regulator of the Parent Bank or by the Authority, subject to compliance with such terms and conditions or guidelines as may be specified by the Authority, including matters relating to design, execution and risk management.
(2) For the removal of doubts, it is hereby declared that the activity of providing “Referral services” is a permitted activity under these regulations.”
29. In the Principal Regulations, regulation 14, shall be substituted with the following, namely:
“A Banking Unit shall follow the Anti Money Laundering, Counter-Terrorist Financing and Know Your Customer Guidelines issued by the Authority.”
30. In the Principal Regulations, regulation 16 shall be substituted with the following, namely:
“A Banking Unit shall maintain its books of accounts, records and documents in the specified foreign currencies, as may be declared at the time of making an application under Regulation 3.”
31. In the Principal Regulations, sub-regulation 1 of regulation 17 shall be substituted with the following, namely:
“A Banking Unit shall be permitted to have an INR account out of the specified foreign currencies to defray their administrative and statutory expenses, and for such other purposes as may be specified by the Authority.”
32. In the Principal Regulations, regulation 18 shall be substituted with the following, namely:
“Deposits of a Banking Unit may be insured subject to applicability of and to the extent provided under the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 and any rules or regulations made thereunder.”
33. In the Principal Regulations, regulation 19 shall be substituted with the following, namely:
“A Banking Unit may exchange margins in the specified foreign currencies or permissible listed debt securities and sovereigns with a counter party Banking Unit or overseas regulated entity for non-centrally cleared over the counter currency, interest rate, credit and commodity derivative contracts to reflect mark to market exposure under a legally enforceable netting arrangement as may be specified by the Authority.”
34. At the end of the Principal Regulations, the following shall be inserted as the First Schedule, namely :

THE FIRST SCHEDULE

[See Section 20 of the Act and regulation 2(1)(na)]

SPECIFIED FOREIGN CURRENCIES

- i. US Dollar (USD)
- ii. Euro (EUR)
- iii. Japanese Yen (JPY)
- iv. UK Pound Sterling (GBP)
- v. Canadian Dollar (CAD)
- vi. Australian Dollar (AUD)
- vii. Swiss Franc (CHF)
- viii. Hong Kong Dollar (HKD)
- ix. Singapore Dollar (SGD)
- x. UAE Dirham (AED)
- xi. Russian Rouble (RUB)

INJETI SRINIVAS, Chairperson
[ADVT.-III/4/Extty./265/2023-24]

Note:

1. The International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020 were published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. IFSCA/2020-21/GN/REG004 on 20th November 2020, to be read with

the Corrigendum published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. CG-MH-E-12052021-226980, on 12th May, 2021;

2. The International Financial Services Centres Authority (Banking) (Amendment) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. IFSCA/2020-21/GN/REG009 on 25th March, 2021; and
3. The International Financial Services Centres Authority (Banking) (Amendment) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. IFSCA/2021-22/GN/REG013 on 05th July, 2021.
4. The International Financial Services Centres Authority (Banking) (Amendment) Regulations, 2022 were published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. IFSCA/2022-23/GN/REG025 on 29th of June, 2022.